रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 15, 2019/पौष 25, 1940
No. 21] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 15, 2019/PAUSA 25, 1940

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2019

सं. ओ-22013/1/2017-ओएनजीडी-V.—भारत सरकार, दिनांक 11 अक्तूबर, 2018 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना संख्या 334 द्वारा अधिसूचित तेल और गैस हेतु वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने संबंधी नीतिगत ढांचे के खंड 3.2 के अनुसरण में, वर्धित निकासी पद्धतियों को लागू करने के लिए क्षेत्रों की जांच (स्क्रीनिंग) करने के लिए, निम्नलिखित संस्थानों को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

क्र. सं.	संस्थान	संपर्क व्यक्ति	संपर्क विवरण
1	**इंस्टीट्यूट ऑफ रिजर्वायर स्टडीज, ओएनजीसी**	**प्रमुख -** इंस्टीट्यूट ऑफ रिजर्वायर स्टडीज, ओएनजीसी	**पता** प्रमुख-इंस्टीट्यूट ऑफ रिजर्वायर स्टडीज (आईआरएस), ओएनजीसी, चांदखेड़ा, अहमदाबाद -380005 **ई-मेल** gyani_omkarnath@ongc.co.in **दूरभाष सं.** : 079-23291704/ 23295620
2	**आईआईटी-आईएसएम धनबाद**	**निदेशक -** पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विभाग	**पता** पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद, झारखंड-826004 **ईमेल** sumit_mukhopa@hotmail.com **दूरभाष सं.** : 0326-2235239

3	**आईआईटी-दिल्ली**	**प्रमुख -** केमिकल इंजीनियरिंग विभाग आईआईटी- दिल्ली	**पता** प्रोफेसर, केमिकल इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-दिल्ली, हौज खास, नई दिल्ली 110016 **ईमेल** ashoknb@chemical.iitd.ac.in **दूरभाष सं.** : 011-2659-1028
4	**आईआईटी-बॉम्बे**	**प्रमुख-** पृथ्वी-विज्ञान विभाग, आईआईटी बॉम्बे	**पता** सहायक प्रोफेसर, पृथ्वी-विज्ञान विभाग, आईआईटी बॉम्बे, पोवई, मुंबई- 400076 **ईमेल** v.vishal@iitb.ac.in **दूरभाष सं.** : 022-25767254
5	**आईआईटी-खड़गपुर**	**निदेशक-** खनन इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी खड़गपुर	**पता** खनन इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर - 721 302 **ईमेल** gpkarmakar@iitkgp.ac.in gpkarmakar@gmail.com **दूरभाष सं.** : 03222-281848
6	**पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, गांधीनगर**	**निदेशक-** स्कूल ऑफ़ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी , गांधीनगर	**पता** निदेशक और प्रोफेसर, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, पीडीपीयू, रायसन, गांधीनगर- 382 007, गुजरात **ईमेल** Anirbid.Sircar@spt.pdpu.ac.in **दूरभाष सं.** : + 91-9924430525

[फा. सं. ओ-22013/1/2017-ओएनजीडी-V]

अमर नाथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2019

No. O-22013/1/2017-ONGD-V.—The Government of India pursuant to clause 3.2 of the Policy framework to promote and incentivize Enhanced Recovery Methods for Oil and Gas notified vide Gazette Notification No. 334 published on dated 11th October, 2018, hereby notifies the following institutions for conducting screening of fields for implementing Enhanced Recovery Methods :-

Sl. No	Institute	Contact Person	Contact Details
1	**Institute of Reservoir Studies, ONGC**	**Head-** Institute of Reservoir Studies, ONGC	**Address** Head-Institute of Reservoir Studies (IRS), ONGC, Chandkehda, Ahmedabad-380005 **email** gyani_omkarnath@ongc.co.in **Tel. No** : 079-23291704/23295620

2	**IIT-ISM Dhanbad**	**Director -** Department of Petroleum Engineering	**Address** Department of Petroleum Engineering, Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad, Jharkand -826004 **email** sumit_mukhopa@hotmail.com **Tel. No** : 0326-2235239
3	**IIT-Delhi**	**Head -** Department of Chemical Engineering IIT- Delhi	**Address** Professor, Department of Chemical Engineering, Indian Institute of Technology-Delhi, Hauz Khas, New Delhi 110016 **email** ashoknb@chemical.iitd.ac.in **Tel. No** : 011-2659-1028
4	**IIT-Bombay**	**Head-** Department of Earth Sciences, IIT Bombay	**Address** Assistant Professor, Department of Earth Sciences, IIT Bombay, Powai, Mumbai- 400076 **email** v.vishal@iitb.ac.in **Tel. No** : 022-25767254
5	**IIT-Kharagpur**	**Director-** Department of Mining Engineering, IIT Kharagpur	**Address** Department of Mining Engineering, Indian Institute of Technology, Kharagpur - 721 302 **email** gpkarmakar@iitkgp.ac.in gpkarmakar@gmail.com **Tel. No** : 03222-281848
6	**Pandit Deendayal Petroleum University, Gandhinagar**	**Director-** School of Petroleum Technology, Gandhinagar	**Address** Director & Professor, Petroleum Engineering, School of Petroleum Technology, PDPU, Raisan, Gandhinagar- 382 007, Gujarat **email** Anirbid.Sircar@spt.pdpu.ac.in **Tel. No** : +91-9924430525

[F. No. O-22013/1/2017-ONGD-V]

AMAR NATH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली,14 जनवरी, 2019

सं. ओ-22013/1/2017-ओएनजीडी-V.—भारत सरकार दिनांक 11 अक्तूबर, 2018 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 334 द्वारा प्रकाशित 'तेल और गैस के लिए उन्नत निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने संबंधी नीतिगत फ्रेमवर्क' के खंड 9 के अनुसरण में, एतद्वारा निम्नलिखित को शामिल करते हुए उन्नत निकासी (ईआर) संबंधी समिति का गठन करती है, नामत: :-

क्र.सं.	नाम	पद नाम
1.	संयुक्त सचिव (अन्वेषण)	अध्यक्ष
2.	उप महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन	सदस्य
3.	प्रोफेसर सुमित मुखोपाध्याय, आईआईटी-आईएसएम (धनबाद) पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विभाग	सदस्य
4.	श्री एस राय चौधरी, पूर्व निदेशक (प्रचालन), ओवीएल	सदस्य
5.	डॉ. सुनील कुमार खरे, प्रोफेसर तथा प्रमुख, पेट्रोलियम और ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (यूपीईएस), देहरादून	सदस्य
6.	डॉ. समर्थ पटवर्धन, सहायक प्रोफेसर, एमआईटी पुणे	सदस्य

2. विशेष आमंत्रित

अध्यक्ष समिति की बैठक में शामिल होने के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों)/विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकते हैं।

3. गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल

समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना की तारीख से 3 वर्षों के लिए होगा। तथापि, भारत सरकार के पास किसी भी सदस्य को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय ईआर समिति से हटाने का अधिकार सुरक्षित है।

4. समिति के कार्य

सिमति अन्य बातों के साथ-साथ अधिसूचना के अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन करेगी।

5. समिति अपेक्षित होने पर बैठक करेगी। दो बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा।

6. अपेक्षित होने पर, समिति अपने कार्यों के निर्वहन हेतु मदद और सहायता के लिए तृतीय पक्षकार/विशेषज्ञ एजेंसी की सेवाएं ले सकती है।

7. **समिति की निबंधन एवं शर्तें**

(i) सरकारी अधिकारियों के टीए/डीए का व्यय संबंधित विभाग द्वारा पूरा किया जाएगा।

(ii) गैर-सरकारी सदस्यों/क्षेत्र विशेषज्ञों/शिक्षाविदों द्वारा अपने कार्य स्थल से बैठक स्थल तक के हवाई किराये और स्थानीय किराये पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति उनकी हकदारी के अनुसार की जाएगी बशर्ते सदस्य को समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए वाहन और किराये की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई हो। उन्हें बैठक में भाग लेने के लिए प्रति बैठक 20,000/- रुपए (बीस हजार रुपए मात्र) के मानदेय का भुगतान भी किया जाएगा।

(iii) सरकारी अधिकारियों के यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता, जिसे उनके संबंधित विभागों द्वारा दिया जाएगा, को छोड़कर ईआर समिति के संबंध में किए गए सभी व्यय हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा वहन किए जाएंगे।

(iv) समिति को सचिवालय सहायता हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

(v) सरकार के पास आवश्यकता होने पर बिना कोई कारण बताए निबंधनों और शर्तों में बदलाव करने का कार्य सुरक्षित है।

[फा. सं. ओ-22013/1/2017-ओएनजीडी-V]

अमर नाथ, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

उन्नत निकासी (ईआर) समिति की भूमिका और कार्य

(दिनांक 11.10.2018 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 334 के अनुसार)

समिति जांच के लिए जिम्मेवार होगी और विभिन्न चरणों पर अनुमोदन प्रदान करेगी जिसमें शामिल हैं- पात्रता मानदंड, ईआर पायलट, ईआर वाणिज्यिक चरण और ईआर प्रौद्योगिकियों के लिए प्रत्येक मामले के लिए लागू ईआर प्रोत्साहन या आईआर या गैर

परम्परागत प्रक्रियाएं और इस नीति के प्रशासन और अभिशासन से सम्बद्ध अन्य मामले/इसके अतिरिक्त, समिति के संकेतक कार्यों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है:

1. प्रत्येक वर्ष या आवश्यक समझे जाने पर ईआर स्क्रीनिंग करने के लिए संस्थाओं की सूची की समीक्षा करना। ईआर समिति की सिफारिशों के आधार पर, ईआर स्क्रीनिंग करने के लिए सरकार नई संस्थाओं को अधिसूचित कर सकती है।

2. पांच वर्ष के अंत में, नीति की समग्र प्रभाविता पर मध्यावधि समीक्षा करना और अनुमोदित क्षेत्रों पर प्रयुक्त ईआर प्रौद्योगिकियों की, ईआर और गैर परम्परागत उत्पादन कार्यकलापों आदि के परिणामत: वृद्धिपरक उत्पादन प्रोफाइल का जायजा लेना।

3. समिति ईआर तरीकों के तहत वृद्धिपरक उत्पादन जैसे अनुमोदित ईआर परियोजना में लगाए गए अनुमान की तुलना में उत्पादन को मापने के लिए तथ्यपरक मानदंड भी विकसित करेगी।

4. ईआर परियोजनाओं, आईआर परियोजनाओं या गैर परम्परागत हाइड्रोकार्बन उत्पादन परियोजनाओं का अनुमोदन और केपेक्स और उस पर संविदाकार के प्रोत्साहन की समीक्षा।

5. ईआर इकोसिस्टम के निर्माण के लिए दीर्घावधि रूपरेखा विकसित करना और मौजूदा संस्थाओं को स्वायत्त बनाकर सुदृढ़ करके विकल्पों/संभावनाओं का मूल्यांकन करना ताकि उद्योग के अपेक्षाकृत अधिक भागीदारों की सेवा की जा सके। समिति उद्योग और विदृत परिषद के सदस्यों को आमंत्रित कर सकती है ताकि दीर्घावधि ईआर रूपरेखा को बेहतर बनाने में मदद मिल सके।

6. उद्योग के अपेक्षाकृत अधिक भागीदारों और वैश्विक प्रौद्योगिकी के लिए और सेवा प्रदाताओं के लिए आवधिक रूप में जानकारी साझा करने के लिए मंच प्रदान करना ताकि ईआर से सम्बद्ध प्रमुख वैश्विक पद्दतियों पर विचार-विमर्श किया जा सके।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2019

No. O-22013/1/2017-ONGD-V.—Pursuant to Clause 9 of the 'Policy framework to promote and incentivize Enhanced Recovery Methods for Oil and Gas' published vide Gazette Notification No. 334 on 11th October, 2018, the Government of India hereby constitutes the Enhanced Recovery (ER) Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Name	Designation
1	Joint Secretary (Exploration)	Chairman
2	Deputy Director General, Directorate General of Hydrocarbon	Member
3	Prof. Sumit Mukhopadhyay, IIT-ISM (Dhanbad) Department of Petroleum Engineering	Member
4	Shri S Roychowdhry, Ex- Director (Operations), OVL	Member
5	Dr. Sunil Kumar Khare, Professor and Head, University of Petroleum and Energy Studies (UPES), Dehradun	Member
6	Dr. Samarth Patwardhan, Associate Professor, MIT Pune	Member

2. **Special Invitee**

The Chairman may invite any other person(s)/experts to attend meeting of the Committee.

3. **Tenure of Non-Official Members**

The tenure of the non-official Members of the Committee will be three years from the date of notification. However, the Government reserves the right to remove any member from ER Committee any time without assigning any reasons whatsoever.

4. **Functions of the Committee**

The Committee shall, *inter-alia,* discharge the functions specified in Annexure to this Notification.

5. The Committee shall meet as and when required. There shall not be more than 6 months gap between two meetings.

6. The Committee may take services of third party/expert agency to aid and assist it in discharge of its functions, as and when required.

7. **Terms and Conditions of Committee**

i. Expenditure on TA/DA of Government officials will be met by the respective concerned Department.
ii. Non-official members/Sector Experts/Academicians will be reimbursed expenses incurred on airfare and local commutation from their place of working to the place of meeting, as per entitlement, unless transport and commutation facility is provided to the Member for attending the Committee Meetings. They will also be paid an honorarium of Rs. 20,000/- (Rupees Twenty thousand only) per sitting for attending the meeting.
iii. All expenditure on the ER Committee will be borne by Directorate General of Hydrocarbons, except the Tour Allowance and Dearness Allowance of Government officials, which will be met by their concerned Departments.
iv. The Secretarial assistance to the Committee will be provided by Directorate General of Hydrocarbons.
v. Government reserves the right to change the terms and conditions as and when required without assigning any reasons thereof.

[F. No. O-22013/1/2017-ONGD-V]

AMAR NATH, Jt. Secy.

ANNEXURE

Role and Functions of Enhanced Recovery (ER) Committee

(Vide Gazette Notification No. 334 published on 11.10.2018)

The Committee shall be responsible to review and provide approval at different stages which include Eligibility Criteria, ER Pilot, ER Commercial phase and the ER incentives applicable for each case for ER technologies or IR or unconventional production processes as well as other matters related to administration and governance of this policy. In addition, indicative functions of the Committee are listed as under:

1. Reviewing the list of Institutions to carry out ER Screening every year or as deemed necessary. Based on the recommendations of ER Committee, the Government may notify new Institutions to conduct ER Screening.

2. Carrying out a mid-term review, at the end of five years, on the overall efficacy of the policy and assess performance of ER technologies applied on approved fields, incremental production profile as a result of ER and Unconventional production activities etc.

3. The Committee will also develop objective criteria for measuring the incremental production under ER methods such as production against the projection made in the approved ER project.

4. Approval of ER projects, IR projects or Unconventional hydrocarbon production projects and review of the CAPEX & incentives of the contractor thereof.

5. Developing a long term roadmap for building an ER ecosystem and evaluate options/possibilities of strengthening existing institutions by giving them an autonomous status in order for them to serve wider industry participants. The Committee may invite members from industry and academia to help shape the long term ER roadmap.

6. Organizing knowledge sharing forums periodically, for wider industry participants as well as global technology and service providers to discuss leading global practices related to ER.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.01.18 12:04:57 +05'30'